



## शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में संपर्क और सहयोग के अवसर तलाशने सिंगापुर जाएंगे प्रधान

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 28 मई।

केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्योगिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मोजूदा संबंधों को सशक्त करने और शिक्षा व कौशल विकास में द्विपक्षीय जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाने के अवसर तलाशने के लिए रविवार को सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं।

प्रधान अपनी यात्रा के दौरान सिंगापुर सरकार के विभिन्न प्रमुख मंत्रियों से भेंट करेंगे, जिनमें सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री लारेंस वाना, वरिष्ठ मंत्री थरमन शनमुगरबम, विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन, व्यापार एवं उद्योग मंत्री गन किम योंग और शिक्षा मंत्री चान चुन सिंग शामिल हैं।

मंत्री सिंगापुर स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल, नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनटीयू), तकनीकी शिक्षा एवं शैक्षिक सेवा संस्थान (आइटीईईएस), सिंगापुर प्रौद्योगिकी एवं डिजाइन विश्वविद्यालय (एसयूटीडी) सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करेंगे।

प्रधान सिंगापुर स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल, नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनटीयू), तकनीकी शिक्षा एवं शैक्षिक सेवा संस्थान (आइटीईईएस), सिंगापुर प्रौद्योगिकी एवं डिजाइन विश्वविद्यालय (एसयूटीडी) सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करेंगे। वह सिंगापुर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में

संचालित नोडल एजेंसी 'स्किल फ्यूचर सिंगापुर' (एसएसजी) के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे। यह संस्था भविष्य कौशल पर आधारित गतिविधियों के कार्यान्वयन को संचालित करती है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय नागरिकों और ओडिया एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात करेंगे।

शिक्षा मंत्री सिंगापुर में आइआइटी और आइआइएम के पूर्व विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में लंबे समय से साझेदारी रही है। भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह द्वारा ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक आजीवन सीखने और कार्य कुशलता के भविष्य को बढ़ावा देना है।

## वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी स्थानीय बाजार की चाल

नई दिल्ली, 28 मई (भाषा)।

स्थानीय शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह वृहद आर्थिक आंकड़ों, वाहन बिक्री के मासिक आंकड़ों, एफआइआइ के प्रवाह और वैश्विक रुझानों से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। अमेरिका के ऋण समझौते तथा संस्थागत प्रवाह पर भी सभी की निगाह रहेगी।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लि के शोध प्रमुख संतोष मीणा ने कहा, इस सप्ताह बाजार भागीदार संस्थागत प्रवाह पर करीबी नजर रखेंगे, क्योंकि माना जाता है जब विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) और घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआइआइ) दोनों शुद्ध लिवाल हो जाते हैं, तो बाजार में कुछ

घरेलू मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े और वाहन बिक्री के आंकड़े महत्वपूर्ण रहेंगे।  
इस सप्ताह नए महीने की शुरुआत होगी। ऐसे में बाजार भागीदारों की निगाह वाहन बिक्री, विनिर्माण पीएमआइ और सेवा पीएमआइ आंकड़ों पर होगी।

मुनाफावसूली की संभावना बन जाती है। मीणा ने कहा कि वैश्विक मोर्चे पर अमेरिका में ऋण सीमा को लेकर गतिविधियां महत्वपूर्ण रहेंगी। इसके अलावा अमेरिका के वृहद आर्थिक आंकड़ों, बान्ड पर प्रतिफल,

डालर सूचकांक की चाल और कच्चे तेल के दाम पर भी भागीदारों की निगाह रहेगी।

उन्होंने कहा, घरेलू मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े और वाहन बिक्री के आंकड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष-शोध अजित मिश्रा ने कहा, इस सप्ताह नए महीने की शुरुआत होगी। ऐसे में बाजार भागीदारों की निगाह वाहन बिक्री, विनिर्माण पीएमआइ और सेवा पीएमआइ आंकड़ों पर होगी। इससे पहले 31 मई को जीडीपी के आंकड़े आने हैं। विनिर्माण क्षेत्र के पीएमआइ आंकड़े गुरुवार को आएंगे। उन्होंने कहा कि इन सब कारकों के अलावा बाजार भागीदारों की निगाह अमेरिकी बाजार के प्रदर्शन पर रहेगी।

## नोटिस का जवाब न देने वाले आयकरदाताओं की होगी जांच

नई दिल्ली, 28 मई (एजेंसी)।

आयकर विभाग ने 'जांच' के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे आयकरदाता जिन्होंने विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। विभाग उन मामलों की जांच भी करेगा जहां किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण द्वारा कर अपवचना से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, कर अधिकारियों को आय में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा। इसके बाद आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे। इसने कहा कि जहां

आयकर विभाग उन मामलों की जांच भी करेगा जहां किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण द्वारा कर अपवचना से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई 'रिटर्न' नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएससी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा।

धारा 142(1) कर अधिकारियों को 'रिटर्न' दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है। जिन मामलों में 'रिटर्न' दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है।

## बीते साल भारत में 'साइबर' हमले 31 फीसद बढ़े : रपट

नई दिल्ली, 28 मई (भाषा)।

भारत में 2022 में 'साइबर' हमलों में 31 फीसद बढ़ोतरी देखी गई। सोनिकवाल ने एक रपट में बताया कि इसके बाद कंपनियों को साइबर हमलों से बचने के लिए साफ्टवेयर सुरक्षा बढ़ानी होगी।

रपट के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में 10 फीसद वृद्धि और 'रैन्समवेयर हमलों' में 53 फीसद की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सोनिकवाल अमेरिका की साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता कंपनी है। सोनिकवाल में एशिया-प्रशांत एवं जापान



(एपीजे) में उपाध्यक्ष देवाशीष मुखर्जी के अनुसार, हालांकि अन्य क्षेत्रों में मालवेयर हमलों में कमी आई है लेकिन भारत में ये खतरनाक स्तर पर हैं।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी भारत जैसे देशों में विभिन्न तरीकों से हमले करते हुए खतरे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अपराधी लगातार ऐसे अवसर तलाशते रहते हैं।

## काले गेहूं की खेती की तरफ बढ़ रहा है किसानों का रुझान

शाहजहांपुर (उप्र), 28 मई (भाषा)।

शाहजहांपुर जिले में किसानों का रुझान काले गेहूं की खेती की ओर बढ़ रहा है। इस बार यहां के किसानों द्वारा भारी मात्रा में काले गेहूं का उत्पादन किया गया है।

हालांकि, फायदे का सौदा होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर बाजार की अनुपलब्धता यहां के किसानों को निराश भी कर रही है। शाहजहांपुर जिले में काले गेहूं की खेती अब प्रचुर मात्रा में होने लगी है। पूरे जिले के लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में इसे उगाया गया है। स्थानीय प्रशासन भी किसानों को इस बेहद पोषक अनाज माने जा रहे गेहूं की खेती के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।

जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने रविवार को बताया कि जिले में काले गेहूं की पैदावार काफी बढ़ी है। इस बार जिले में 200 से अधिक किसानों ने 250 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में काले गेहूं का उत्पादन किया है।

स्थानीय स्तर पर इसे छह हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है जबकि बड़े शहरों में इसकी कीमत 10 से 12 हजार रुपए तक मिल रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को स्थानीय स्तर भी उनकी उपज का भरपूर लाभ मिले। तिलहर के राजपुर गांव के किसान प्रेम शंकर गंगवार ने बताया कि उन्होंने इस बार परीक्षण के तौर पर एक एकड़ क्षेत्र में काले गेहूं की पैदावार की है।

## आपूर्ति शृंखला समझौते पर बातचीत लगभग पूरी

नई दिल्ली, 28 मई (भाषा)।

हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा (आइपीइएफ) के सदस्यों ने लाजिस्टिक और संपर्क में सुधार सहित आपूर्ति शृंखला समझौते पर वार्ता को काफी हद तक पूरा कर लिया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों को सहयोग करना चाहिए। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक,

14 देशों के समूह आइपीइएफ की शुरुआत अमेरिका और भारत-प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों ने मिलकर 23 मई को तोक्यो में की थी। व्यापार, आपूर्ति शृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (कर और भ्रष्टाचार रोधी जैसे मुद्दे) से संबंधित चार स्तंभों के आधार पर यह ढांचा तैयार किया गया है। भारत व्यापार को छोड़कर सभी स्तंभों में शामिल हो गया है।

अमेरिका की मेजबानी में शनिवार को डेट्रायट में दूसरी आइपीइएफ मंत्रिस्तरीय बैठक

का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। आइपीइएफ में आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलिपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका सहित 14 भागीदार देश शामिल हैं। इसका लक्ष्य क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करना है।

## 'आंकड़ों का उपयोग करने वाले मंचों के लिए व्यापक बदलाव लगाएगा विधेयक'

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 मई।

डिजिटल निजी आंकड़ा संरक्षण विधेयक भारत में उन मंचों के काम करने के तरीकों में 'व्यापक बदलाव' लाएगा, जो लंबे समय से निजी आंकड़ों का दुरुपयोग करते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही है।

सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने एक साक्षात्कार में सरकार द्वारा नियुक्त तथ्य जांच निकाय को

लेकर जताई जा रही चिंताओं को भी दूर किया और कहा कि यह कदम सेंसरशिप के बारे में बिल्कुल नहीं है।

चंद्रशेखर ने कहा कि यह व्यवस्था केंद्र को मौका देती है कि वह किसी भी गलत सूचना का जवाब दे, जो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गलत सूचना को बोलने की आजादी के अधिकार के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि गलत सूचना 10-15 गुना तेजी से फैलती है और दर्शकों तक सच्चाई की तुलना में 20-50 गुना अधिक पहुंचती है। चंद्रशेखर ने इस

बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में अगर कोई सरकार के बारे में कुछ गलत कहता है, घृणा पैदा करने या हिंसा भड़काने के लिए कोई गलत बात फैलाता है तो 'सरकार के पास यह कहने का अवसर होने चाहिए कि यह सच नहीं है।'

उन्होंने कहा कि इसलिए कोई 'सेंसरशिप' नहीं है, मुक्त भाषण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह केवल झूठ को स्पष्ट रूप से झूठ कहने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस बारे में भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यह कदम मुक्त भाषण के खिलाफ है।

## बाइडेन, मैकार्थी में ऋण सीमा बढ़ाने को लेकर बनी सहमति

वाशिंगटन, 28 मई (एपी)।

राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच शनिवार देर रात देश की वैधानिक ऋण सीमा बढ़ाने पर सैद्धान्तिक सहमति बन गई है। दोनों संघीय खर्च को सीमित करने और अमेरिका को संभावित चूक से बचाने के लिए समझौते पर तैयार हो गए हैं। हालांकि, इस समझौते तक पहुंचने के लिए जो रियायतें या शर्तें तय की गई हैं उससे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पक्षों के नाराज होने का खतरा है।

वार्ताकारों ने रिपब्लिकन की खाद्य टिकट के प्राप्तकर्ताओं के लिए काम की बढ़ती जरूरतों पर सहमति जताई है, जिसपर डेमोक्रेट ने हंगामा खड़ा किया है। पांच जून की समयसीमा से पहले संसद की मंजूरी के लिए दोनों पक्षों का इस समझौते पर सहमत होना जरूरी है। मैकार्थी ने कहा कि डेमोक्रेट राष्ट्रपति और रिपब्लिकन स्पीकर दोनों के बीच शनिवार शाम फोन पर बातचीत के बाद समझौते के लिए सहमति बनी है। देश और दुनिया को बेसहरी से अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को खतरे में डालने वाले राजनीतिक गतिरोध के समाधान का इंतजार था।



दोनों के बीच शनिवार देर रात देश की वैधानिक ऋण सीमा बढ़ाने पर सैद्धान्तिक सहमति बन गई है।

बाइडेन ने शनिवार रात बयान में कहा, इस करार तक पहुंचने के लिए समझौता करना पड़ा है।

इसका मतलब है कि हर किसी को वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। बाइडेन ने इस समझौते को अमेरिका के लोगों के लिए एक अच्छी खबर बताते हुए कहा कि इससे देश एक ऐसी चूक से बच सकता है जो उसे आर्थिक मंदी में ले जा सकती थी। साथ ही समझौता नहीं होने पर सेवानिवृत्ति खाते प्रभावित होते और लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी गंवानी पड़ती।

धामपुर स्पेशिएलिटी सुगर्स लिमिटेड									
31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश									
क्र. सं.	विवरण	एकल				समेकित			
		समाप्त तिमाही		समाप्त तिमाही		एकल		समेकित	
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
1	परिचालन से कुल आय	246.90	345.53	234.66	473.22	587.48	494.05	1343.90	2411.64
2	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1.81	-63.46	49.19	13.72	-76.22	51.02	38.45	48.81
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आवधिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1.81	-63.73	49.19	13.72	-76.49	51.02	38.18	48.54
4	कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आवधिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1.34	-47.33	38.37	10.15	-53.43	39.37	30.94	42.37
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट]	1.34	-47.33	38.37	10.15	-53.43	39.37	30.94	42.37
6	समता अंश सूची	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12
7	आरक्षितियां (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना-पत्र में निदर्शितानुसार								
8	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का समता अंश) (परिधानजनक एवं अपरिचित परिचालन हेतु)	0.10	0.49	-0.60	2.25	0.55	-0.67	0.13	2.60
	(अ) मूलभूत:	0.10	0.49	-0.60	2.25	0.55	-0.67	0.13	2.60
	(ब) करतोत्कृत:								

टिप्पणियाँ:  
1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा निदेशक मंडल द्वारा 27-05-2023 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया।  
2. कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम पर एक लेखापरीक्षित प्रतिवेदन निरगत किया है।  
3. उपरोक्त सारांश, कंपनी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) पर तथा कंपनी की वेबसाइट ([www.dhampurgreen.com](http://www.dhampurgreen.com)) पर उपलब्ध है।  
कृते धामपुर स्पेशिएलिटी सुगर्स लिमिटेड  
हरणा, /—  
अनीश जैन  
कंपनी सचिव